जयपुर नगर निगम, जयपुर

–: विवाह के अनिवार्य पंजीयन हेतु दिशा निर्देश :–

सिविल याचिका श्रीमति सीमा बनाम अश्विनी कुमार [ट्रान्सफर पिटीशन (सिविल) 291/2005] में दिनांक 15.02.2006 को निर्णय प्रतिपादित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था स्थापित करने बाबत् व्यवस्था दी गई है एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारो को इस बाबत् कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। फलतः प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उसके सीमा क्षैत्र में होने वाले सभी विवाहो का अनिवार्य रूप से पंजीयन करने की व्यवस्था के लिए प्रचलित नियमो में अपेक्षित संशोधन किया जाना है या यथाआवश्यक नये नियम बनाये जाने है ।

राजस्थान में विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु अभी तक वैधानिक व्यवस्था विद्यमान नही है। इस हेतु अधिनियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नया अधिनियम बनने मे समय लगना प्रत्याशित है। अतः विवाह के अनिवार्य पंजीकरण बाबत विधि रचना होने तक की अवधि के लिए राज्यपाल महोदय की आज्ञा से गृह (ग्रुप 13) विभाग के पत्र क्रमांक प6(19)गृह–13/2006/जयपुर दिनांक 22/05/2006 के द्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की गई है इसकी अनुपालना मे जयपुर नगर निगम मे विवाह पंजीयन का कार्य 08 जुन 2006 से निगम के समस्त जोन कार्यालयो मे शुरू किया जा चुका है। :–

1. विवाह पंजीयन की अनिवार्यता :– इन दिशा निर्देशो के जारी होने के तत्काल बाद से संपन्न होने वाले सभी विवाहो का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु पूर्व में संपन्न विवाहो का भी पंजीयन किया जा सकेगा।
2. विवाह पंजीयन अधिकारी :–समस्त जोन के आयुक्तो को विवाह पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया हुआ है विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा उसके कार्यक्षेत्र मे होने वाले समस्त विवाहो का पंजीयन करना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी :–राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को जिला विवाह पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। जिला विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा जिले में संपन्न होने वाले सभी विवाह को अनिवार्य रूप से पंजीकरण हो इस बाबत् पर्याप्त प्रचार–प्रसार एवं समीक्षा के साथ–साथ इन दिशा निर्देशो की अनुपालना सुनिश्चित करवायी जायेंगी।
4. महापंजीयक विवाह :–अनिवार्य विवाह पंजीयन की व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक महापंजीयक विवाह पंजीयन होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ है।
5. विवाह पंजीयन की प्रक्रिया :–

5.1 इन दिशा निर्देशो के जारी होने के बाद संपन्न होने वाले विवाह के पंजीयन हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी :–

I. विवाह पंजीयन कहॉ होगा :– जहॉ विवाह संपन्न होता है उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन किया जायेगा।

II. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र :– विवाह पंजीयन हेतु प्रपत्र 1 मे आवेदन पत्र दिया जावेगा। आवेदन पत्र वर या वधु या उनके संरक्षको द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पत्र विवाह संपादित होने के 30 दिन की अवधि मे 10/–रू. फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्रस्तुत आवेदन पत्र के लिए 100/– रू. की फीस जमा करानी होगी।

III. पंजीयन आवेदन पत्र सही एवं सुस्पष्ट भरा गया है एवं उसके साथ निर्दिष्ट संलग्नक लगे हुए है यह सुनिश्चित कर पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र 2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवाह पंजीकरण रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा एवं आवेदन पत्र को संरक्षित पत्रावली में संधारित किया जावेगा। तद्नुसार परिशिष्ठ 3 पर संलग्न प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

IV. विवादित मामलो में संदर्भीकरण :–सामान्यतया विवाह पंजीकरण अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तत्काल कार्यवाही की जावेगी । परन्तु ऐसे प्रकरणों में, जिन में विवाह की वैधता को चुनौती देने बाबत् अभ्यावेदन विवाह पंजीयन के पूर्व प्राप्त हो जाता है, विवाह पंजीयन अधिकारी आवेदन को लम्बित रखते हुए जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी को संदर्भित करेगा एवं जिला विवाह पंजीकरण अधिकारी के निर्देश प्राप्त होने पर ही पंजीयन करेगा।

V. विवाद निर्धारण :– जिला विवाह पंजीयन अधिकारी संदर्भित प्रकरण में आवश्यक छानबीन कर पंजीयन की पात्रता निर्धारित करेगा। जिला विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा सिविल या आपराधिक न्यायालय के समक्ष विवाह संपन्न होने संबंधी विवाद लम्बित नही होने की दशा में विवाह पंजीकरण हेतु विवाह पंजीयन अधिकारी को निर्देशित किया जा सकेगा परन्तु न्यायालय में विवादित प्रकरण में पंजीकरण बाबत् निर्देश जारी नही किया जा सकेगा।

VI. आवेदन लम्बित रखना :– ऐसे पंजीकरण जिनमें विवाह की वैधानिकता को चुनौती देने का वाद किसी न्यायालय में लम्बित है एवं इस प्रकार के तथ्य विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाते है तो ऐसे प्रकरणों को लम्बित रखा जा कर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5.2 इन दिशा निर्देशो के जारी होने के पूर्व में संपन्न विवाहों को भी नीचे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत किया जा सकेगा :—

I. विवाह पंजीयन कहा होगा :— (A) जहा विवाह संपन्न हुआ है उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा विवाह पंजीयन कर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

   (B) इसके अलावा शासन उपसचिव गृह (ग्रुप 13) विभाग के पत्र क्रमांक प 6 (19) गृह—13/2006 जयपुर दिनांक 28/01/2008 के अनुसार यदि आवेदक विवाह पंजीयन अधिकारी के कार्यक्षेत्र मे आवेदन के समय निवास कर रहा है एवं विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका विवाह 22/05/2006 से पूर्व विवाह पंजीयन अधिकारी के कार्यक्षेत्र के बाहर संपन्न हो चुका था एवं वर्तमान मे भी वे वैवाहिक दम्पति के रूप मे रह रहे है ऐसे विवाहो का पंजीयन दिशा निर्देशो मे निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर किया जावे। जहॉ विवाह संपन्न हो उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन किया जायेगा अगर दोनो परिस्थितिया लागु होती है तो क्रम संख्या A के अनुसार विवाह पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

II. पंजीयन हेतु आवेदन पत्र :— विवाह पंजीयन हेतु प्रपत्र 4 मे आवेदन पत्र दिया जावेगा। ऐसा आवेदन पत्र पति एवं पत्नि के संयुक्त हस्ताक्षरो से प्रस्तुत किया जायेगा एवं इसके साथ 20/— रू. की फीस जमा करानी होगी।

III. ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन पत्र में निर्धारित पूर्तियो को युक्ति संगत एवं सुस्पष्ट ढ़ग से भरा गया है इसकी अन्वीक्षा कर विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 के अनुसार निर्धारित रजिस्टर में इन्द्राज किया जा कर प्रपत्र 3 के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। आवेदन पत्र को संरक्षित पंजिका में सुरक्षित ढ़ंग से संधारित किया जावेगा।

6. विवाह पंजीयन की विशेष व्यवस्था :— विवाह पंजीयन बाबत आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने से पूर्व प्राप्त होने पर एवं आवेदक द्वारा विवाह स्थल पर आकर विवाह पंजीयन किये जाने का आवेदन किये जाने पर विवाह पंजीयन अधिकारी सुविधा होने पर विवाह स्थल पर जाकर भी विवाह पंजीयन कर सकेगा। इसके लिए आवेदक को विवाह पंजीयन अधिकारी के यात्रा आदि व्यय हेतु 50/रू.फीस के रूप में अतिरिक्त जमा करवाने होंगे।

7. विवाह पंजीयन अधिकारी को मानदेय :—विवाह पंजीयन अधिकारी को विवाह के सामान्य पंजीयन कार्य हेतु प्रति पंजीयन 5 रू. का मानदेय दिया जायेगा, एवं ऐसे प्रकरणो मे जिनमें विवाह पंजीयन अधिकारी विवाह स्थल पर जाकर पंजीयन करता है उनमें अतिरिक्त फीस के रूप में प्राप्त 50/—रू. मानदेय के रूप मे यात्रा व्यय आदि के बतौर देय होंगे।

8 विवाह पंजीयन की प्रगति :— वर्ष 2006 से नवम्बर 2008 तक 13751 विवाह पंजीयन किये जा चुके है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2008 से कम्प्युटराईज्ड रंगीन विवाह प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है।

9 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य क्यो है :—

   a. राशन कार्ड बनवाने या नया नाम जोडने हेतु।
   b. बिजली के नये कनेक्शन के लिए।
   c. विद्युत कनेक्शन पति से पत्नि या पत्नि से पति के नाम ट्रान्सफर करने हेतु।
   d. पानी कनेक्शन के लिए।
   e. आवासीय/व्यावसायिक भूखण्ड या कृषि योग्य भूमि के आवंटन के लिए ।
   f. राजकीय सेवा मे आवेदन हेतु।
   g. विजा बनवाने हेतु।
   h. पासपोर्ट बनवाने हेतु।

10 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के लाभ :—

   a. बाल विवाह पर नियत्रंण
   b. बहु विवाह पर नियंत्रण।
   c. विवाह के पंजीयन से उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्य से महिलाओ को उत्तराधिकार प्राप्त होने मे सुविधा मिलेगी।
   d. विवाह के नाम पर धोखाधडी करने वालो पर लगाम।
   e. शादी होने एवं शादी की तिथि पर विवाद नही रहेगा।
   f. इससे तलाकशुदा महिलाओ को गुजारा भत्ता पाने या विधवाओ को पति की सम्पति हासिल करने के लिए।
   g. विदेश भेजने वालो दलालो को कमीशन नही देना पडेगा।